रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-199/2021/1979/22-2-2021-17(771)/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी नीरज (बन्दी संख्या-294/2018) पत्नी श्री महादेव निवासी बेलहा मऊ, थाना-मऊ, जनपद-चित्रकूट का रहने वाली है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-162/2016 में भा0द0वि0 की धारा-307, 325 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3, चित्रकूट के आदेश दिनांक 13.12.2018 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त बंदी दिनांक 12.08.2021 तक 04 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 06 माह 23 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा एवं सन्तोषजनक जेल आचरण तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-199/2021/1979(1)/22-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
3- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in